उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

बनाम

नितिन अग्निहोत्री व अन्य

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 1126)

जुलाई 21, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधिपतिगण)

खर्चा- अधिरोपण- एफआईआर दर्ज- प्रत्यर्थी संख्या 1 पर आरोप कि उसने परिवादी की पुत्री का अपहरण कर लिया- प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एफआईआर रदद् करने हेतु रिट याचिका- उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरुद्ध एफआईआर एवं समस्त पारिणामिक कार्यवाहियों को रदद् किया गया- परंतु, राज्य एवं परिवादी पर खर्चा अधिरोपित- अपील में, यह माना गया कि खर्चा अधिरोपण के संबंध में उच्च न्यायालय का आदेश बिना किसी आधार के है, क्योंकि इस संबंध में कोई कारण नहीं लिखा गया है कि पुलिस अधिकारी लापरवाह थे और उनके द्वारा अनुसंधान के दौरान कोई चूक कारित की गई है- खर्चे के अधिरोपण के संबंध में कारण के अभाव में, खर्चे के भुगतान का निर्देश अस्तित्व में नहीं रह सकता इसलिए अपास्त किया गया- भारत का संविधान, 1950- अनु. 226- दण्ड संहिता, 1860- धारा 366

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एफआईआर दर्ज करवाई कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी माता एवं बहन के साथ मिलकर उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया है। धारा 366 भा.दं.सं. के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में एफआईआर दर्ज की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उत्प्रेषण प्रकृति की रिट जारी कर एफआईआर रद्द करने हेतु रिट याचिका पेश की। उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरुद्ध एफआईआर एवं समस्त

परिणामिक कार्यवाहीयों को रद्द कर दिया और राज्य एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 पर 50,000/- रूपये का खर्च अधिरोपित किया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रकरण में परिवाद के आधार पर अनुसंधान किया गया एवं उच्च न्यायालय द्वारा जब संबंधित अधिकारियों के भाग पर कोई चूक नहीं पाई गई तो खर्चा अधिरोपित किए जाने का निर्देश उचित नहीं था।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने यह माना कि अभिनिर्धारित किया:

1. उच्च न्यायालय का विवादित आदेश जहां तक खर्चा अधिरोपित किए जाने के संबंध में है, बिना किसी आधार के है। ऐसा भी कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि पुलिस अधिकारी किसी भी प्रकार से लापरवाह थे और/या उनके द्वारा अनुसंधान के दौरान चूक कारित की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा दर्शित किसी भी कारण के अभाव में कि न्यायालय द्वारा खर्चा अधिरोपण अधिरोपित किया जाना क्यों आवश्यक माना गया, खर्चा भुगतान का निर्देश बरकरार नहीं रखा जा सकता है और अपास्त किया जाता है।

2. न्यायालयों को हस्तगत मामले की तरह बिना कारण दिये कि खर्चा अधिरोपित किया जाना क्यों आवश्यक है, खर्चा अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए। जब तक कि किसी अधिकारी के भाग पर कोई चूक नहीं पाई जाती एवं चूक करने वाले अधिकारी को अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक खर्चा अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए। जब भी यह माना जाता है कि खर्चा अधिरोपित किया जाना है तब ऐसे निष्कर्ष हेतु कारण आवश्यक रूप से दर्ज किए जाने चाहिए।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की आपराधिक अपील संख्या 1126

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा 2005 की रिट याचिका संख्या 4120(एमबी) में अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांकित 28.06.2005 से

शैल कुमार द्विवेदी, ए.ए.जी., सहदेव सिंह गुन्नम वेंकटेश्वरा राव और विभा द्विवेदी अपीलार्थी की ओर से

सिदार्थ बाम्भा, एम.ए. कृष्णा मूर्ति, के. कृष्णा कुमार और अनिश कुमार गुप्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से

इस न्यायालय का निर्णय दिया गया द्वारा

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ, लखनऊ द्वारा 2005 की रिट याचिका संख्या 4120 (एम/बी) में पारित निर्णय को चुनौती दी गई है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः

उपर्युक्त रिट याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1, द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 165/2005 अन्तर्गत धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में भा.दं.सं.) में पुलिस थाना कृष्णा नगर, लखनऊ में दर्ज एफआईआर को रद्द करने एंव कुछ अन्य राहतों हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी किये जाने हेतु दायर की गई थी। यह अंकित किया गया है कि एफआईआर दिनांकित 09.06.2005 सरदार महेंद्र सिंह - प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उक्त पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी। एफआईआर में यह अंकित किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपनी माता और बहन के साथ मिलकर दिनांक 8.06.2005 को समय शाम 07:30 बजे पीएम पर प्रत्यर्थी संख्या 2 की बेटी का अपहरण किया गया । एफआईआर दर्ज होने के पश्चात, पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं परिवादी की पत्नी

के बयान दर्ज किये गये। एक कमलजीत कौर के भी बयान दर्ज किये गये जिसका संस्करण श्रीमती मनजीत कौर के समान ही था। अपहृत लड़की की चाची जगजीत कौर के बयान भी दर्ज किये गये। दिनांक 20.6.2005 को अरुण कुमार सिंह के बयान भी पुलिस द्वारा लिये गये। जिसके अनुसार रात करीब 8 बजे उसके द्वारा लडकी को उपस्थित प्रत्यर्थी संख्या 1-नितिन अग्निहोत्री के साथ एक रिक्शे पर देखा गया था। परिवादी के पडौसी राजकुमार और संजीव सबरवाल के बयान भी दर्ज किए गए। आरोपी के माता और पिता को पुलिस द्वारा दिनांक 21.06.05 को गिरफ्तार किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 165/05 में अग्रिम अनुसंधान पर रोक लगा दी गई।

उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 27.06.05 द्वारा आगे कहा गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा नितिन अग्निहोत्री के विरूद्ध एफआईआर परोक्ष उद्देश्य की पूर्ति हेतु दर्ज करवाई गई है। उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारियों को रोका गया और निर्देशित किया गया कि उनके द्वारा आरोपी व्यक्तियों के शांतिपूर्ण जीवन में उक्त एफआईआर के संबंध में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा सुश्री नीना अग्निहोत्री को सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया एवं यह कथन किया कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर जाने और रहने हेतु स्वतंत्र है। उसकी दिनांक 25.06.2005 को पुलिस बल की सुरक्षा में उपस्थिति हेतु एक निर्देश दिया गया था। दिनांक 28.6.2005 को उच्च न्यायालय द्वारा विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीमा शुल्क), लखनऊ के समक्ष लंबित आपराधिक प्रकरण संख्या 165/05 में दर्ज एफआईआर और सभी परिणामिक कार्यवाहियों को रद्द कर दिया गया। एफआईआर के आरोपी व्यक्तियों को मुक्त किये जाने का निर्देश दिया गया एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्ध परोक्ष उदेश्यों से एफआईआर दर्ज कराने हेतु धारा 181 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सहिता) के अन्तर्गत

प्रसंज्ञान लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश हस्ताक्षरित होने से पहले सुश्री नीना अरोड़ा द्वारा शिकायत की गई कि उसके ससुराल वालों द्वारा उसे धमकी दी जा रही है। उच्च न्यायालय की संबंधित पीठ का फिर से गठन किया गया और आदेश पारित किया गया कि श्री मनोरम अग्निहोत्री और उनकी पत्नी को रिहा किया जाए और नितिन अग्निहोत्री और उनकी पत्नी को सुरक्षा प्रदान की जाए और अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उक्त व्यक्ति किसी भी प्रकार प्रताडित न हो। इसके उपरांत उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के अंतिम पद में कहा कि यह एक उपयुक्त मामला है जहा राज्य और लड़की के पिता प्रत्यर्थी संख्या 2 पर 50,000/- रुपये का खर्चा अधिरोपित किया जाये। उच्च न्यायालय द्वारा आगे यह कहा गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 पर खर्चा अधिरोपित किये जाने से 2 परिवारों के मध्य मनमुटाव होगा एवं यदि उसके द्वारा यह वचन लिया जाता है कि वह समस्या का समाधान करेगा तो उसे अधिरोपित खर्चा दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

4. अपीलार्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया गया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा शिकायत के आधार पर अनुसंधान किया गया था। वे अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों की ओर से कोई चूक होना नहीं पाया और फिर भी उपरोक्तानुसार खर्चा अधिरोपित किये जाने का निर्देश दिया।

5. हम यह पाते हैं कि जहां तक खर्चा अधिरोपित करने का संबंध है तो उच्च न्यायालय का आलौच्य आदेश बिना किसी आधार का है। ऐसा कोई निष्कर्ष भी दर्ज नहीं किया गया है कि पुलिस अधिकारियों ने किसी भी तरह से लापरवाही बरती हो और/या जांच के दौरान कोई चूक की हो। उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए किसी भी कारण के अभाव में कि अदालत ने खर्चा अधिरोपित करना क्यों आवश्यक महसूस

किया, खर्चे के भुगतान के निर्देश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे अपास्त किया जाता है।

6. मामला निस्तारित करते हुए, हम यह संकेत देना चाहेंगे कि अदालतों को वर्तमान मामले की तरह बिना किसी कारण को दर्ज किये खर्चा अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए कि क्यों खर्चा अधिरोपित किया जाना आवश्यक है। जब तक कि किसी अधिकारी के भाग पर कोई चूक नहीं पाई जाती है और उक्त गलती करने वाले अधिकारी को अवसर नहीं दिया जाता, तब तक खर्चा अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए। जब भी यह महसूस किया जाता है कि खर्चा अधिरोपित किया जाना चाहिए ऐसे में उक्त निष्कर्ष का कारण भी दर्ज किया जाना चाहिए।

7. अपील स्वीकार की जाती है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी स्वाति चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।